(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 173–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 56/विविध/2015–16.

.....

अशोक कुमार पिता दुलीचन्द जैन
निवासी सुवासरा जिला मंदसौर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–किशन पिता हीराजी

2–दलपतसिंह पिता हीराजी

3–तेजसिंह पिता हीराजी

4–गोवर्धन पिता हीराजी

सभी निवासीगण बंजारा मोहल्ला सुवासरा

जिला मंदसौर

.....अनावेदकगण

श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक– आवेदक

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 7/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 80/अ–9/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20–6–2014 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–9–15 को आदेश पारित कर अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश दिनांक 20–6–14 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अतिरिक्त कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणदोष के आधार पर अंतिम निराकरण किया जाये । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा उनके समक्ष संहिता की धारा 35 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–11–2016 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण के निराकरण में आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा विधिवत् अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी किये गये हैं । इसके बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुये हैं, अतः अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, यदि आवेदक को अवसर दिया जाता तो वह व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करता, इसलिये उसके द्वारा संहिता की धारा 35 सहपठित धारा 32 के

अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है।

(3) अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त से बिना आवेदक को सूचना दिये तथ्यों को छिपाकर आदेश पारित करा लिया गया है जिसे निरस्त करने हेतु आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 3–9–15 को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा बिना आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है । यहॉ तक की समय सीमा के बिन्दु पर भी अपर आयुक्त द्वारा एकपक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया है । अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर भी उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर निर्णय लिया है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–9–15 एवं 17–11–16 अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को सुनकर सर्वप्रथम समय सीमा के बिन्दु का निराकरण करें तत्पश्चात् प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर